

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

| मुकदमा नंबर | किस्म मुकदमा | दर्ज दिनांक | निर्णय दिनांक |
|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 18/2025 | FSS ACT | 08.05.2025 | 28.01.2026 |

- श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

—आवेदक

बनाम

- श्री रामस्वरूप बघेल पुत्र श्री दौलतराम, उम्र 64 वर्ष, जाति बघेल, मैसर्स रामस्वरूप मावा निर्माता, ग्राम वगचौलीखार, तहसील मनियां, धौलपुर, निवासी ग्राम वगचौलीखार, तहसील मनियां, धौलपुर


—अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय


दिनांक 28.01.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 23.10.2024 को दोपहर 01:00 बजे मैसर्स रामस्वरूप मावा निर्माता, ग्राम वगचौलीखार, तहसील मनियां पर पहुंचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम रामस्वरूप बघेल पुत्र श्री दौलतराम, उम्र 64 वर्ष, जाति बघेल, मैसर्स रामस्वरूप मावा निर्माता, ग्राम वगचौलीखार, तहसील मनियां, धौलपुर, निवासी ग्राम वगचौलीखार, तहसील मनियां, धौलपुर बताया, खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ में संलग्न है। निरीक्षण के दौरान दुकान में रखे कटोरो में लगभग 100 किलोग्राम मावा आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त मावा में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त मावा का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा। और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है। उक्त 100 किलोग्राम मावा में से 1 किलो मावा वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता सुभाष चंद पुत्र श्री नथीलाल को रू. 250/- (दो सौ पचास रुपये) नगद रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 किलो मावा को विक्रेता एवं गवाहन को चार खाली साफ एवं सूखी बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20-20 बूंदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाइट बंद किये गये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 3249 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि दर्ज कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं० डी 3249 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार-चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर रामस्वरूप बघेल पुत्र श्री दौलतराम के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं० vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं० vi की एक प्रति के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/341 दिनांक 06.11.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/811/एक्ट/2024/835 दिनांक 28.10.2024 का अध्ययन करने पर यह नमूना असुरक्षित Unsafe प्रकृति का पाया गया है। तत्पश्चात् खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा रैफरल प्रयोगशाला से पुनः जांच बाबत अपील प्रस्तुत किये जाने पर नमूने का द्वितीय

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)



भाग पुनः जांच बाबत रैफरल प्रयोगशाला मैसूर भिजवाया गया जहां से प्राप्त पत्र क्रमांक 1596F/FSSA/2024 DATED 06-03-2025 के द्वारा अवगत करवाया गया कि नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त कागजात अभियोजन स्वीकृति हेतु श्रीमान् अभिहित अधिकारी धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जिन्होंने तमाम कागजात पर गौर फरमाकर अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर न्यायनिर्णयन आवेदन न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के समक्ष पेश करने हेतु आवेदक को अधिकृत किया जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में सबस्टेण्डर्ड (Substandard) मावा का भण्डार आम जन को विक्रय करने हेतु रखने के कारण विक्रेता रामस्वरूप बघेल पुत्र श्री दौलतराम, उम्र 64 वर्ष, जाति बघेल, मैसर्स रामस्वरूप मावा निर्माता, ग्राम वगचौलीखार, तहसील मनियां, धौलपुर, निवासी ग्राम वगचौलीखार, तहसील मनियां, धौलपुरने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जबाव पेश न कर सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। बहस मौखिक सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य मावा के सैंपल का प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011 श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उक्त सैंपल एफ0एस0एल0 की जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टैण्डर्ड का होना पाया है। अप्रार्थी ने जानबूझकर अपने स्तर पर उक्त खाद्य पदार्थ में कोई मिलाबट नहीं कि है फिर भी अप्रार्थी प्रकरण में अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करता है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अप्रार्थी जुर्माना जमा कराने को तैयार है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अभिभाषक अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न Certificate of analysis by the Referral Food Laboratory, Mysore की Certificate No: 1596F/FSSA/2024 का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

Opinion:

And I am of the opinion that the sample s "Substandard" as defined under Section 3 (1)(zx) of Food Safety and Standards Act, 2006 as it does not Conform to the Standards laid down for Mawa under the Provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 thereof, in that:

DL
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

- a) R.M. Value falls below the minimum standard limit and
b) B.R.R of extracted fat exceeds the maximum permissible limit

अप्रार्थी द्वारा सबस्टैण्डर्ड मावा का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैण्डर्ड मावा बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी रामस्वरूप बघेल पुत्र श्री दौलतराम, उम्र 64 वर्ष, जाति बघेल, मैसर्स रामस्वरूप मावा निर्माता, ग्राम वगचौलीखार, तहसील मनियां, धौलपुर, निवासी ग्राम वगचौलीखार, तहसील मनियां, धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 40000/-रुपये (चालीस हजार रुपये मात्र/-) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हरि राम मीना)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)